राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या–59 / रा0नि0आ0–3 / 1379 / 2013

देहरादून, दिनांक 05 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–यक तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथासंशोधित एवं प्रवृत्त) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–354 / IV(1)2013–1(निर्वाचन)2012 दिनांक 04 अप्रैल, 2013 के क्रम में एतद्द्वारा राज्य के समस्त जनपदों की **नगर पालिका परिषदों** एवं **नगर पंचायतों (गंगोत्री, बद्रीनाथपुरी व केदारनाथ को छोड़कर)** के **सदस्यों** तथा उनके **अध्यक्षों** का निर्वाचन निम्नलिखित विवरणानुसार एवं विर्निदिष्ट समय–सारिणी के अनुसार मतपत्रों (गूढ़शलाका) द्वारा कराये जाने का निर्देश देता हूँ।

2. **यदि किन्हीं नागर निकायों के संबंध में मा0 न्यायालयों के अन्यथा कोई आदेश हों तो तद्नुसार मा0 न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

3. इस निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6
8 अप्रैल, 2013 से 12 अप्रैल, 2013 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	13 अप्रैल, 2013 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	15 अप्रैल, 2013 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक)	16 अप्रैल, 2013 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	28 अप्रैल, 2013 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	30 अप्रैल, 2013 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकाय के पद / स्थानों पर सामान्य निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 07 अप्रैल, 2013 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा।

5. नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों(रिटर्निंग आफिसर्स) / सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर्स) द्वारा जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी।

क्रमशः..............2

निर्वाचन भवन, लाडपुर
मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड)

दूरभाष / 2670457, 2670998
टैलीफैक्स : 2670920, 2678945

6. जिला निर्वाचन अधिकारी / उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहीत किये गये समस्त निकायों के संबंधित निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले तथा निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

7. उक्त समय–सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या 59 / रा0नि0आ0–3 / 1379 / 2013 तद्दिनांक।(फैक्स)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त, कुमांयूँ एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल एवं पौड़ी।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सामान्य निर्वाचन हेतु नागर निकायों में निवास करने वाले राजकीय कार्यालय / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्धनिकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों / कारीगरों / मजदूरों हेतु मतदान दिवस दिनांक 28 अप्रैल, 2013 को अवकाश घोषित करने का कष्ट करें।
8. सचिव, शहरी विकास उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी / अपर जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
15. निजी सचिव, माननीय मंत्री, शहरी विकास, उत्तराखण्ड।
16. निदेशक, दूरदर्शन / आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
17. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा आकाशवाणी / दूरदर्शन केन्द्रों को भी निःशुल्क प्रसारण हेतु भेजने का कष्ट करें।
18. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक 05 अप्रैल, 2013 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25 (पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
19. आयोग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
20. आयोग के सूचना पटट पर रखने हेतु।
21. गार्ड फाईल।

05/04/13

(एच0बी0थपलियाल)
सचिव।